परिपत्र सं. आर.जी.-8/2012

Member of Parliament Local Area Development Scheme

भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली-110001

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAWAN, NEW DELHI-110001
FAX : 011-23364197
E-mail : mplads@nic.in

फा.सं.सी/42/2011-एमपीलैड्स

दिनांक Dated..8/11/2012.............

सेवा में,

आयुक्त,
निगम, कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली
सभी जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त ।

विषय: एमपीलैड्स दिशानिर्देशों में संशोधन- देश में महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरा सिस्टम उपलब्ध कराना ।

महोदय/महोदया,

बढ़ते हुए सुरक्षा संबंधी खतरों को ध्यान में रखते हुए देश में महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरा सिस्टम उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न संसद सदस्यों से इस मंत्रालय को संदर्भ प्राप्त होते रहे हैं । मामले की जांच की गई है तथा यह निर्णय लिया गया है कि देश में महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा निगरानी हेतु सीसीटीवी कैमरा सिस्टम लगाने के लिए संसद सदस्यों द्वारा एमपीलैड्स निधि की अनुशंसा निम्नलिखित पैरा के अनुसार की जा सकती है, जिसे संशोधित एमपीलैड्स दिशानिर्देश 2012 में पैरा 3.41 के रूप में जोड़ा जाएगा:-

> "**पैरा 3.41- देश में महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरा सिस्टम उपलब्ध कराना:-** संसद सदस्य, जिला पुलिस/जिला प्रशासन/सरकारी सुरक्षा एजेंसियों के अनुरोध पर, देश में महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा निगरानी हेतु सीसीटीवी कैमरा सिस्टम संस्थापित करने के लिए एमपीलैड्स निधि की अनुशंसा कर सकते हैं जो निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी:-
>
> क) निगरानी/सीसीटीवी कैमरा सिस्टम केन्द्र, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार अथवा स्थानीय स्वशासन से संबंधित स्थानों पर स्थायी ढंग से संस्थापित किए जाएं;
>
> ख) डीसी/डीएम की अध्यक्षता वाली एक समिति जिसमें जिला पुलिस/जिला प्रशासन/सरकारी सुरक्षा एजेंसी के प्रतिनिधि शामिल होंगे, उपस्कर का चयन कर सकती है जिसकी खरीद निर्धारित राज्य प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी ।
>
> ग) एमपीलैड्स निधि से खरीदे गए उपस्करों का रखरखाव प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा तथा किसी आवर्ती व्यय की अनुमति नहीं होगी ।"

2. एमपीलैड योजना के कार्यान्वयन में इन अनुदेशों का सख्ती से पालन किया जाए ।

3. इसे माननीय मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुमोदन से जारी किया गया है ।

भवदीय,

(देवेन्द्र वर्मा)
उप महानिदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. सभी माननीय संसद सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा) ।
2. एमपीलैड्स से संबंद्ध नोडल विभागों के सचिव (सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र) ।
3. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. एमपीलैड्स प्रभाग के सभी संबंधित अधिकारी ।